

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

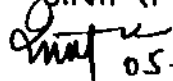
आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / ०८ / 2021 दिनांक ०६.01.2021

श्रीमती ममता व्यास (RJ0212), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, राजसमन्द को दिनांक 24.11.2020 से 05.12.2020 तक 12 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 06.12.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती व्यास की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, राजसमन्द के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
 05.1.2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/18/1996/ 42

दिनांक : 06.01.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, राजसमन्द को उनके पत्रांक 60 दिनांक 07.12.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती ममता व्यास (RJ0212), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, राजसमन्द।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द।


सहायक रजिस्ट्रार